कमला नेहरू महिला महाविद्यालय ; भुबनेश्वर

हिंदी विभाग ; ई – पत्रिका

हिंदी भारती

अगस्त – 2019

संपादक मंडली

संपादक : डॉ. वेदुला रामालक्ष्मी
डॉ. मनोरमा मिश्र

उप – संपादक : कु. हाफिज़ा बेगम
कु. बर्षा प्रियदर्शिनी

संपादकीय

"हिंदी भारती" के सभी पाठकों को "हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनायें"

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 धारा 343 (1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है। राज्य या प्रशासन की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार 'उस भाषा को राज्य भाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो' जबसे प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई है, तभी से राजभाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है।

"हिंदी भारती" का यह अंक हिंदी के वैभव को समर्पित है।

आज "हिंदी भारती" को शुरु हुये दो वर्ष हो चुके हैं। और इस यात्रा में आपने क्या खूब साथ दिया। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।

हमारी ई - पत्रिका ने हमेशा प्रयास किया है कि छात्राओं को प्रोत्साहित करती रहे और उनमें छुपी सृजनात्मकता को तथा नेतृत्व तथा प्रबंधन को अवसर प्रदान करती रहे। "आपकी बात" हमारे लिये अखण्ड प्रेरणा का स्रोत है। कृपया अपनी बात हम तक पहुँचाते रहें। हम आशा करते हैं कि हर अंक की तरह आप इस अंक को भी स्वीकार करते हुए भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपका आदर और स्नेह हमें इसी तरह मिलता रहेगा।

अब हमारी पत्रिका को आप हमारे महाविद्यालय के वेब साइट www.knwcbbsr.com पर भी पढ़ सकते हैं।

संपादक : डॉ. वेदुला रामालक्ष्मी

डॉ. मनोरमा मिश्र

अनुक्रमणिका

क्र सं.	शीर्षक	विधा	नाम	पृ.स .
1.	राजभाषा हिंदी	लेख	संग्रहित	5
2.	राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा	लेख	संग्रहित	10
3.	दुनिया के प्रमुख धर्म और आध्यात्मिक परम्परायें	लेख	संग्रहित	19
4.	महात्मा गाँधी	लेख	कीर्तिपर्णा	28
5.	बकरीद	लेख	सुहाना	30
6.	रवींद्रनाथ टैगोर	लेख	वर्षा	31
7.	पिपिली का चंदवा	लेख	श्रद्धा सुमन	33
8.	ग्राम देवता	लेख	वर्षा	35
9.	अकेलापन	कहानी	शरीफा	37
10.	वाह रे वाह	कविता	हाफिज़ा	40
11.	स्वतंत्रता दिवस	कविता	शरीफा	41
12.	रक्षाबंधन	कविता	शरीफा	41
13.	बरसात	कविता	शरीफा	42
14.	फिल्म समीक्षा - आर्टिकल 15	फिल्म समीक्षा	हाफिज़ा	43
15.	अतीत के प्रेमी	कहानी	पिंकी सिंह	45
16.	आपकी बात			47
17.	गबन	यूट्यूब लिंक		49
18.	यादों के गलियारों से	चित्र स्मृतियाँ		50

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है।

भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। (संविधान का अनुच्छेद 120) किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने का औचित्य

हिन्दी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक 'राजभाषा' के लिए बताये थे-

- (1) प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
- (2) उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
- (3) यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
- (4) राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
- (5) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा

- (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

- (2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

- (3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा
  (क) अंग्रेजी भाषा का, या
  (ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

  ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो विधि द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा संकल्प, 1968

भारतीय संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) ने 1968 में 'राजभाषा संकल्प' के नाम से निम्नलिखित संकल्प लिया-

1. जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है:

> यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 22 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए :

> यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है कि-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा समितियाँ

- संसदीय राजभाषा समिति
- केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्यवन समिति
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा **नगर राजभाषा कार्यान्वय समितियों (नराकास)** की व्यवस्था पूरे देश के विभिन्न स्थानों में की गई है।

1. **"नराकास" का गठन:** राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा.सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक

कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।

2. **अध्यक्षता:** इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।
3. **सदस्यता:** नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों(प्रशासनिक प्रधानों) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।
4. **सदस्य- सचिव:**समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है । अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं।
5. **बैठकें:** इन समितियों की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा एक कैलेंडर रखा जाता है जिसमें प्रत्येक समिति की बैठक हेतु एक निश्चित महीना निर्धारित किया जाता है। इन बैठकों के आयोजन संबंधी सूचना समिति के गठन के समय दी जाती है और निर्धारित महीनों में समिति को अपनी बैठकें करनी होती हैं।
6. **प्रतिनिधित्व:** इन समितियों की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी भी इन बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि एवं हिंदी शिक्षण योजना के किसी एक अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।
7. **उद्देश्य:** केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे मिल बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि चर्चा कर सकें। फलत: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा

स्वतंत्रता पूर्व

- **1833-86** : गुजराती के महान कवि श्री नर्मद (1833-86) ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा।
- **1872** : आर्य समाज के संस्थापक महार्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशवचन्द्र सेन से मिले तो उन्होंने स्वामी जी को यह सलाह दे डाली कि आप संस्कृत छोड़कर हिन्दी बोलना आरम्भ कर दें तो भारत का असीम कल्याण हो। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिन्दी हो गयी और शायद इसी कारण स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भाषा भी हिन्दी ही रखी।
- **1873**: महेन्द्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दी में **पदार्थ विज्ञान** (material science) की रचना
- **1875** : सत्यार्थ प्रकाश की रचना। यह आर्यसमाज का आधार ग्रन्थ है और इसकी भाषा हिन्दी है।
- **1877** : श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिन्दी उपन्यास की रचना की।
- **1893** : काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना
- **1918** : मराठी भाषी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिन्दी भारत की राजभाषा होगी।
- **1918** : इंदौर में सम्पन्न आठवें हिन्दी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था - *मेरा यह मत है कि हिन्दी को ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्त्तव्यपालन करना चाहिए।*
- **1918** : महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना
- **1930 का दशक** : हिन्दी टाइपराइटर का विकास (शैलेन्द्र मेहता)

- **1935** : मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सी० राजगोपालाचारी ने हिन्दी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद

- **14.9.1949 :** संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब **हिन्दी दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- **26.1.1950 :** संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351) लागू हुए।
- **1952 :** शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पर प्रारम्भ किया गया।
- **27.5.1952 :** राज्यपालों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया।
- **जुलाई, 1955 :** हिन्दी शिक्षण योजना की स्थापना। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध व अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।
- **7.6.1955 :** बी.जी. खेर आयोग का गठन (संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के अन्तर्गत)
- **अक्तूबर,1955 :** गृह मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण योजना प्रारम्भ की गई।
- **3.12.1955 :** संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए।
- **31.7.1956 :** खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई।
- **1957 :** खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन।

- **8.2.1959 :** संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अन्तर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई।
- **सितम्बर, 1959 :** संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा आश्वावासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यावधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई समय-सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय हैं और ये हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं।
- **1960 :** हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।
- **27.4.1960 :** संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिन्दी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं।
- **10.5.1963 :** अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान व श्री जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।
- **5.9.1967 :** प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निदेश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं।
- **16.12.1967 :** संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिन्दी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक

मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिन्दी के साथ-साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र का अपनाये जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिन्दी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई है। (संकल्प 18.8,1968 को प्रकाशित हुआ)

- **1967 :** सिंधी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई।
- **8.1.1968 :** राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किए गए। तदनुसार धारा 3 (4) में यह प्रावधान किया गया कि हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण संघ सरकार के कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित न हो। धारा 3 (5) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा (जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है) ऐसे संकल्प पारित किए जाएं तथा उन संकल्पों पर विचार करने के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संसद के हरेक सदन द्वारा संकल्प पारित किया जाए।
- **1968 :** राजभाषा संकल्प 1968 में किए गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 1968-69 से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया।
- **1.3.1971 :** केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन।
- **1973 :** केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली स्थिति मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
- **1974 :** तीसरी श्रेणी के नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन

निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए हिन्दी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण।

- **जून, 1975 :** राजभाषा से संबंधित संवैधानिक, विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया।
- **1976 :** राजभाषा नियम बनाए गए।
- **1976 :** संसदीय राजभाषा समिति का गठन। तब से अब तक समिति ने अपनी रिपोर्ट के 8 भाग प्रस्तुत किए हैं जिनमें से प्रथम 7 पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो गए हैं। आठवें खण्ड में की गई संस्तुतियों पर मंत्रालयों व राज्य सरकारों की टिप्पणी प्राप्त की जा रही है।
- **1977 :** श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया।
- **1981 :** केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया।
- **25.10.1983 :** केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यांत्रिक और इलेक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा हिन्दी में कार्य को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध द्विभाषी उपकरणों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई।

  : केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया।
- **1986 :** कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट। 1968 में पहले ही यह सिफारिश की जा चुकी थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में नई शिक्षा नीति (1986) के कार्यान्वयन - कार्यक्रम में कहा गया -
- स्कूल स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाएं पहले ही शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इन्हें उत्तरोत्तर माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। इसके लिए

अपेक्षा यह है कि राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके, सभी विषयों में और सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाएं।

- **1986-87 :** इंदिरा गांधी जी के द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रारम्भ किए गए।
- **9.10.1987 :** राजभाषा नियम, 1976 में संशोधन किए गए।
- **1988 :** विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव जी हिंदी में बोले।
- **1992 :** कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई।
- **14.9.1999 :** संघ की राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई।
- **20.10.2000 :** राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार वर्ष 2001-02 से आरंभ करने की घोषणा की गई जिसमें निम्न पुरस्कार राशियां हैं :-
    - प्रथम प्ररस्कार - 100000 रुपये
    - द्वितीय प्ररस्कार - 75000 रुपये
    - तृतीय पुरस्कार - 50000 रुपये
    - 10 सांत्वना पुरस्कार - 100000 रुपये
- **2.9.2003 :** डॉ॰ सीता कान्त महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो संविधान की आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को सम्मिलित किए जाने तथा आठवीं अनुसूची में सभी भाषाओं को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने की साध्यता परखने पर विचार करेगी। समिति ने 14.6.2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।
- **11.9.2003 :** मंत्रिमंडल ने एन.डी.ए. तथा सी.डी.एस. की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को हिंदी में भी तैयार करने का निर्णय लिया।
- **14.9.2003 :** कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम (लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राज्ञ) तैयार करवा कर सर्व साधारण

द्वारा उसका निशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।

- **8.1.2004 :** बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया।
- **22.7.2004 :** केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के मानक पुनः निर्धारित।
- **6.9.2004 :** मातृभाषा विकास परिषद् द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन का उद्देश्य हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं के लिए तकनीकी शब्दावली में एकरूपता अपनाया जाना है। यह एकरूपता तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली भारत सरकार के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठय पुस्तकों में प्रयोग में लाई जाए।
- **14.9.2004 :** कंप्यूटर की सहायता से तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करवा कर उसके निशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया।
- **20.6.2005 :** 525 हिंदी फोंट, फोंट कोड कनवर्टर, अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश, हिंदी स्पेल चेकर को निशुल्क प्रयोग के लिए वेब साइट पर उपलब्ध करा दिया गया।
- **8.8.2005 :** 'राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तकलेखन पुरस्कार' का नाम बदल कर 'राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तकलेखन पुरस्कार' कर दिया गया तथा पुरस्कार राशि बढ़ा कर निम्न प्रकार कर दी गई :-
  - प्रथम पुरस्कार - रू० 2 लाख
  - द्वितीय पुरस्कार - रू० 1.25 लाख
  - तृतीय पुरस्कार - रू० 0.75 लाख

- सांत्वना पुरस्कार (10) - प्रत्येक को 10 हजार रूपए

- **14.9.2005 :** कंप्यूटर की सहायता से बांगला भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया गया। मंत्र-राजभाषा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर प्रशासनिक एवं वित्तिय क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया।
- **14.9.2006 :** कंप्यूटर की सहायता से उड़िया, असमी, मणिपुरी तथा मराठी भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया। मंत्र-राजभाषा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर लघु उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया।
- **14.9.2007 :** कंप्यूटर की सहायता से नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी तथा गुजराती भाषा के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए प्रोग्राम तैयार करवा कर राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया।
  - मंत्र-राजभाषा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर सूचना-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्रों के लिए प्रयोग एवं डाउनलोड हेतु राजभाषा विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध करा दिया।
  - श्रुतलेखन-राजभाषा (हिंदी स्पीच से हिंदी टेक्सट) अंतिम वर्जन जन-प्रयोग के लिए मार्किट में बिक्री के लिए उपलब्ध है।
- **अप्रैल, 2017 :** राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 'संसदीय राजभाषा समिति' की इस सिफारिश को 'स्वीकार' कर लिया कि राष्ट्रपति और ऐसे सभी मंत्रियों और अधिकारियों को हिंदी में ही भाषण देना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए, जो हिंदी पढ़ और बोल सकते हों। इस समिति ने हिंदी को और लोकप्रिय बनाने के तरीकों पर 6 साल पहले 117 सिफारिशें दी थीं।

- **मई, 2018 :** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने हिन्दी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति दी।
- **17 जुलाई, 2019 :** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों का हिन्दी या अन्य पाँच भारतीय भाषाओं (असमिया, कन्नड, मराठी, ओडिया एवं तेलुगु) में अनुवाद प्रदान करना आरम्भ किया।

दुनिया के प्रमुख धर्म और आध्यात्मिक परम्परायें

दुनिया के प्रमुख धर्म और आध्यात्मिक परम्पराओं को कुछ छोटे प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 18 वीं सदी में यह सिद्धांत इस लक्ष्य के साथ शुरू किया गया कि समाज में गैर यूरोपीय सभ्यता के स्तर की पहचान हो।

दुनिया की संस्कृति में, पारंपरिक रूप से कई अलग-अलग धार्मिक विश्वास के समूह हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक दर्शनों का सम्मान परंपरागत रूप से शैक्षणिक मतभेद के रूप में किया जाता था जो एक ही सत्य की तलाश में लगे हुए हैं।

डैनियल डेफो ने धर्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है: "धर्म परमेश्वर के लिए की गई पूजा है लेकिन यह मूर्तियों की पूजा और झूठे देवताओं पर भी लागू होती है।" इस दृष्टिकोण में सबसे बड़ी समस्या इस्लाम के अस्तित्व की थी, जो धर्म ईसाई धर्म के बाद "स्थापित" किया गया था। और ईसाइयों द्वारा अनुभव किया गया कि इसमें बौद्धिक और भौतिक समृद्धि की गुंजाइश थी।

20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में, विशेष रूप से विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानताएं और धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष के बीच स्वेच्छाचारी अलगाव को लेकर "विश्व के धर्म" की श्रेणी गंभीर सवालों से घिर गई। यहां तक कि इतिहास के प्रोफेसर अब इन जटिलताओं पर ध्यान देने लगे हैं और स्कूलों में "विश्व के धर्म" शिक्षण की सलाह नहीं देते हैं।

पश्चिमी विभाजन

ऐतिहासिक उत्पत्ति और आपसी प्रभाव से धार्मिक परंपराएं तुलनात्मक धर्म के विशेष-समूह में आती हैं। अब्रहमिक धर्म की उत्पत्ति मध्य पूर्व में, भारतीय धर्म की उत्पत्ति भारत में और सुदूर पूर्वी धर्म की उत्पत्ति पूर्वी एशिया में हुई।

अब्रहमिक धर्म जो सबसे बड़ा समूह है जिसमें ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म. और बहाई मत मुख्य रूप से शामिल हैं। इब्राहीम कुलपति से इस नाम की उत्पत्ति हुई और यह एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है। आज, करीब 3.4 अरब लोग इस अब्रहमिक धर्म के अनुयायी हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास के क्षेत्रों के अलावा यह दुनिया भर में व्यापक रूप से फैला है। कई अब्रहमिक संगठन दूसरे मतों को ग्रहण करने वाले हैं।

- भारतीय धर्म की उत्पत्ति विशाल भारत में हुई और इसमें धर्म एवं कर्म जैसी कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और रूस के एक अलग हिस्से पर है। मुख्य भारतीय धर्मों में सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल हैं।
- पूर्व एशियाई धर्मों में कई पूर्व एशियाई धर्म शामिल हैं जैसे कि *ताओ* (चीनी में) या डो (जापानी या कोरियाई में), अर्थात् ताओ धर्म और कन्फ्यूशीवाद दोनों धर्मों पर गैर-धार्मिक विद्वानों द्वारा दावा किया गया है।
- अफ्रीकी प्रवासी धर्म अमेरिका में प्रचलित है, 16 वीं से 18 वीं सदी में अटलांटिक दास व्यापार के परिणामस्वरूप इसे लाया गया, यह मध्य और पश्चिम अफ्रीका के धार्मिक परंपराओं पर आधारित है।
- स्वदेशी जातीय धर्म पहले हर महाद्वीप में प्रचलित था, जिसे अब प्रमुख संगठित विचारधारा द्वारा अधिकारहीन कर दिया गया है लेकिन यह लोक धर्म की अंतर्धारा में अब भी मौजूद है। इसमें अफ्रीकी पारंपरिक धर्म, एशियाई शामानिस्म, मूल निवासी अमेरिकी धर्म, औस्ट्रोनेशी, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी परंपराएं, चीनी लोक धर्म और पोस्टवार शिन्तो शामिल हैं। ऐतिहासिक बहुदेववाद के साथ "बुतपरस्ती." और अधिक परंपरागत रूप से निर्दिष्ट किया गया था।
- ईरानी धर्म का प्रारंभ ईरान में हुआ जिसमें पारसी धर्म, याज्दानिस्म अहल ई हक्क और ग्नोस्तिसिस्म ऐतिहासिक परंपरा (मैनडेस्म, मैनिकेस्म) शामिल हैं। यह अब्रहमिक परंपराओं के साथ परस्पर रूप से व्याप्त है उदाहरण के तौर पर सूफी मत हाल के आंदोलन जैसे कि बाबिमत और बहाई मत।

- 19 वीं सदी से, नए धार्मिक आंदोलन को नया धार्मिक मत का नाम दिया गया है, अक्सर पुरानी परंपराओं को ही समकालिक कर पुनर्जीवित किया गया है।

धार्मिक जनसांख्यिकी

एक प्रमुख धर्म को परिभाषित करने का एक ही रास्ता है इसके वर्तमान अनुयायियों की संख्या। धर्म के हिसाब से जनसंख्या की जानकारी जनगणना और अन्य गणना के संयोजन रिपोर्ट द्वारा पाई जा सकती है (अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों के जनगणना में धर्म डेटा एकत्र नहीं किए जाते हैं) लेकिन एजेंसियों या सर्वेक्षण के संचालन संगठनों के पूर्वाग्रह, जनसंख्या सर्वेक्षण एवं सवालों द्वारा व्यापक रूप से इसका परिणाम पाया जाता है। अनौपचारिक या असंगठित धर्मों की गणना करना विशेष रूप से कठिन कार्य है।

दुनिया की आबादी की धार्मिकता प्रोफ़ाइल निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम पद्धति के रूप में शोधकर्ताओं के बीच कोई आम सहमति नहीं है। कई बुनियादी पहलु अनसुलझे हैं:

- क्या "ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख धार्मिक संस्कृति को गिनना चाहिए?
- क्या केवल उन्हें गिनना चाहिए जो सक्रिय रूप सेएक विशेष धर्म का "अभ्यास" करते हैं?
- क्या अवधारणा के "पालन" के आधार पर गणना करनी चाहिए?
- क्या केवल उनकी गिनती करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से आत्म - संप्रदाय विशेष की पहचान के साथ हों?
- केवल वयस्कों को गिनना चाहिए, या बच्चों को भी शामिल करना चाहिए?
- क्या केवल सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान करने वाले आँकड़े पर भरोसा करना चाहिए?
- क्या कई स्रोतों और जरिए या एक "सबसे अच्छे स्रोत का उपयोग" करना चाहिए?

अनुयायियों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा धर्म या मत

नीचे दी गई सारणी सूची में धर्म दर्शन के अनुसार वर्गीकृत है, हालांकि दर्शन हमेशा स्थानीय व्यवहार में निर्धारित करने का कारक नहीं होता है।

धर्म के हिसाब से जनसंख्या की जानकारी जनगणना और अन्य गणना के संयोजन रिपोर्ट द्वारा पाई जा सकती है (अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों के जनगणना में धर्म डेटा एकत्र नहीं किए जाते हैं) लेकिन एजेंसियों या सर्वेक्षण के संचालन संगठनों के पूर्वाग्रह, जनसंख्या सर्वेक्षण एवं सवालों द्वारा व्यापक रूप से इसका परिणाम पाया जाता है। अनौपचारिक या असंगठित धर्मों की गणना करना विशेष रूप से कठिन कार्य है। कुछ संगठन बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ सकते हैं।

चीन में धर्म जीवन पद्धति है, यह दर्शन है और आध्यात्म है। चीन की जनवादी सरकार आधिकारिक रूप से नास्तिक है, मगर यह अपने नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है। लेनिन व माओ के काल में धार्मिक विश्वासों और उनकी अनुपालना पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। तमाम विहारों, मन्दिर, पगोडा, मस्जिदों और चर्चों को अधार्मिक भवनों में बदल दिया गया था। 1970 के अन्त में जाकर इस नीति को शिथिल किया गया और लोगों को धार्मिक अनुसरण की इजाजत दी जाने लगी। 1990 के बाद से पूरे चीन में बौद्ध तथा ताओ विहारों या मन्दिरों के पुनर्निर्माण का विशाल कार्यक्रम शुरू हुआ। 2007 में चीनी संविधान में एक नई धारा जोड़कर धर्म को नागरिकों के जीवन का महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया गया। एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन की 50 से 80 प्रतिशत आबादी या 66 करोड़ से 1.1 अरब तक लोग बौद्ध हैं जबकि ताओ सिर्फ 30 प्र.श. या 40 करोड़ ही हैं। चूंकि अधिकांश चीनी दोनों धर्मों को मानते हैं इसलिये इन आंकड़ों में दोनों का समावेश हो सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन में 91% आबादी बौद्ध है, ईसाई चार से पांच करोड़ और इस्लाम को मानने वाले दो करोड़ के लगभग हैं अर्थात 1.5%। बौद्ध धर्म को सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है। दो वर्ष पूर्व सरकार ने ही यहां विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। चीन के सरकार ने कहां है कि देश की आधी से अधिक जनसंख्या बौद्ध है।

धर्म और धर्म के अनुयायि

धार्मिक वर्ग	अनुयायियों की संख्या (करोड़ में)	सांस्कृतिक परंपरा	मुख्य क्षेत्र शामिल
ईसाईयत	200 - 220	अब्राहमिक धर्म	पश्चिमी दुनिया में प्रमुख (यूरोप, अमेरिका, ओशिनिया), उप सहारा अफ्रीका, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया. दुनिया भर में अल्पसंख्यक
बौद्ध धर्म	160 - 185	भारतीय धर्म	दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस के कुछ क्षेत्रों में, दुनिया भर में अल्पसंख्यक

धार्मिक वर्ग	अनुयायियों की संख्या (करोड़ में)	सांस्कृतिक परंपरा	मुख्य क्षेत्र शामिल
इस्लाम	157 - 165	अब्राहमिक धर्म	मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, द्वीपसमूह के साथ मलय बड़ी आबादी चीन और रूस के मौजूदा केन्द्रों में पूर्वी अफ्रीका, बाल्कन प्रायद्वीप
हिन्दू धर्म	82.8 - 100	भारतीय धर्म	दक्षिण एशिया, बाली, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, और समुदायों के बीच प्रवासी भारतीय
लोक धर्म	60 - 300	लोक धर्म	अफ्रीका, एशिया, अमेरिका
चीनी लोक धर्म (कन्फ्यूशीवाद ताविस्म और सहित)	40 - 100	चीनी धर्म	पूर्व एशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया
शिंटो	2.7 - 6.5	जापानी धर्म	जापान
सिख धर्म	2.4 - 2.8	भारतीय धर्म	भारतीय उपमहाद्वीप, आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप
यहूदी धर्म	1.43	अब्राहमिक धर्म	इसराइल और दुनिया भर में यहूदी प्रवासी (अधिकतर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया)

धार्मिक वर्ग	अनुयायियों की संख्या (करोड़ में)	सांस्कृतिक परंपरा	मुख्य क्षेत्र शामिल
जैन धर्म	0.8 - 1.2	भारतीय धर्म	भारत और पूर्वी अफ्रीका
बहाई धर्म	0.76 - 0.79	अब्रहमिक धर्म	दुनिया भर में प्रमख रूप से फैला लेकिन शीर्ष दस आबादी (अनुयायियों विश्वास बहाई विश्व की राशि के बारे में 60%) रहे हैं (समुदाय के आकार के क्रम में) भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम, केन्या, डॉ कांगो, फिलीपींस, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, बोलीविया
काओ दाई	0.1 - 0.15	वियतनामी धर्म	वियतनाम
चेनोडो मत	0.3	कोरियाई धर्म	कोरिया
तेनरिक्यो	0.2	जापानी धर्म	जापान, ब्राजील.
विक्का	1	नया धार्मिक आंदोलन	संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा
दुनिया की मेस्सिअनिटी चर्च	0.1	जापानी धर्म	जापान, ब्राज़ील
सिचो -नो- ले	0.08	जापानी धर्म	जापान, ब्राजील.
रस्ताफरी धार्मिक आंदोलन	0.07	नया धार्मिक आंदोलन	जमैका, कैरिबियन, अफ्रीका.

धार्मिक वर्ग	अनुयायियों की संख्या (करोड़ में)	सांस्कृतिक परंपरा	मुख्य क्षेत्र शामिल
		है, अब्रहमिक धर्मों	
एकजुट सार्वभौमिकता	0.063	नया धार्मिक आंदोलन	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप.

विश्व के विविध धर्म

1. हिन्दू धर्म : हिंदू और जैन धर्म की उत्पत्ति के पूर्व आर्यों की अवधारणा में है जो 4500 ई. पू. (आज से 6500 वर्ष पूर्व) मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। विद्वानों ने वेदों के रचनाकाल की शुरुआत 4500 ई. पू. से माना है। इस मान से लिखित रूप में आज से 6508 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। ऋग्वेद को संसार की सबसे प्राचीन और प्रथम पुस्तक माना है। इसी पुस्तक पर आधारित है हिंदू धर्म।

2. जैन धर्म : दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और व्रात्यों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परम्परा के न होकर श्रमण परम्परा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवि, नाथ, मल्ल आदि क्षत्रियों को व्रात्यों में गिना है।

3. यहूदी धर्म : आज से करीब 4000 साल पुराना यहूदी धर्म वर्तमान में इसराइल का राजधर्म है। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। यहूदी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा को इस धर्म में पाप समझा जाता है।

4. पेगन धर्म : पेगन धर्म को मानने वालों को जर्मन के हिथ मूल का माना जाता है, लेकिन यह रोम, अरब और अन्य इलाकों में भी बहुतायत में थे। हालांकि इसका विस्तार यूरोप में ही ज्यादा था। एक मान्यता अनुसार यह अरब के मुशरिकों के धर्म की तरह था और इसका प्रचार-प्रसार अरब में भी काफी फैल चुका था। यह धर्म ईसाई धर्म के पूर्व अस्तित्व में था।

5. वूडू धर्म : वूडू...इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि यह दुनिया भर की आदिम जातियों, आदिवासियों का प्रारंभिक धर्म रहा है। हर देश में इसका नाम और थोड़े बहुत फेरबदल के साथ तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यह है झाड़-फूंक, जादू-टोने, काल्पनिक देवता और कबीले की प्राचीन परंपरा का धर्म।

6. पारसी धर्म : प्राचीन फारस (आज का ईरान) जब पूर्वी यूरोप से मध्य एशिया तक फैला एक विशाल साम्राज्य था, तब पैगंबर जरथुस्त्र ने एक ईश्वरवाद का संदेश देते हुए पारसी धर्म की नींव रखी।

7. जेन धर्म : जेन (zen) को ज़ेन भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ 'ध्यान' माना जाता है। यह सम्प्रदाय जापान के सेमुराई वर्ग का धर्म है। सेमुराई समाज यौद्धाओं का समाज है। इसे दुनिया की सर्वाधिक बहादुर कौम माना जाता था। जेन का विकास चीन में लगभग 500 ईस्वी में हुआ। चीन से यह 1200 ईस्वी में जापान गया।

8. शिंतो धर्म : जापान के शिंतो धर्म की ज्यादातर बातें बौद्ध धर्म से ली गई थी फिर भी इस धर्म ने अपनी एक अलग पहचान कायम की थी। इस धर्म की मान्यता थी कि जापान का राज परिवार सूर्य देवी अमातिरासु ओमिकामी से उत्पन्न हुआ है।

9. ईसाई धर्म : आज से 2 हजार वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इस धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसा मसीह का जीवन आज तक विवाद का विषय रहा है। क्या है उनके जीवन की सच्चाई या सच में ही उनका जीवन वैसा ही रहा जैसा कि बाइबिल में बताया जाता है या कि कुछ और।

10. इस्लाम धर्म : आज से 14सौं साल पहले इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हज. मुहम्मद अलै. ने की थीं। अल्लाह के हुक्म से हजरत मुहम्मद सल्ल. ने ही इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाया है। आप हजरत सल्ल. इस्लाम के आखिरी नबी हैं, आप के बाद अब कायामत तक कोई नबी नहीं आने वाला।

11.सिख धर्म : सिख धर्म के दस गुरुओं की कड़ी में प्रथम हैं गुरु नानक। आज से 600 वर्ष पूर्व हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इस धर्म के व्यवस्थित रूप दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने।

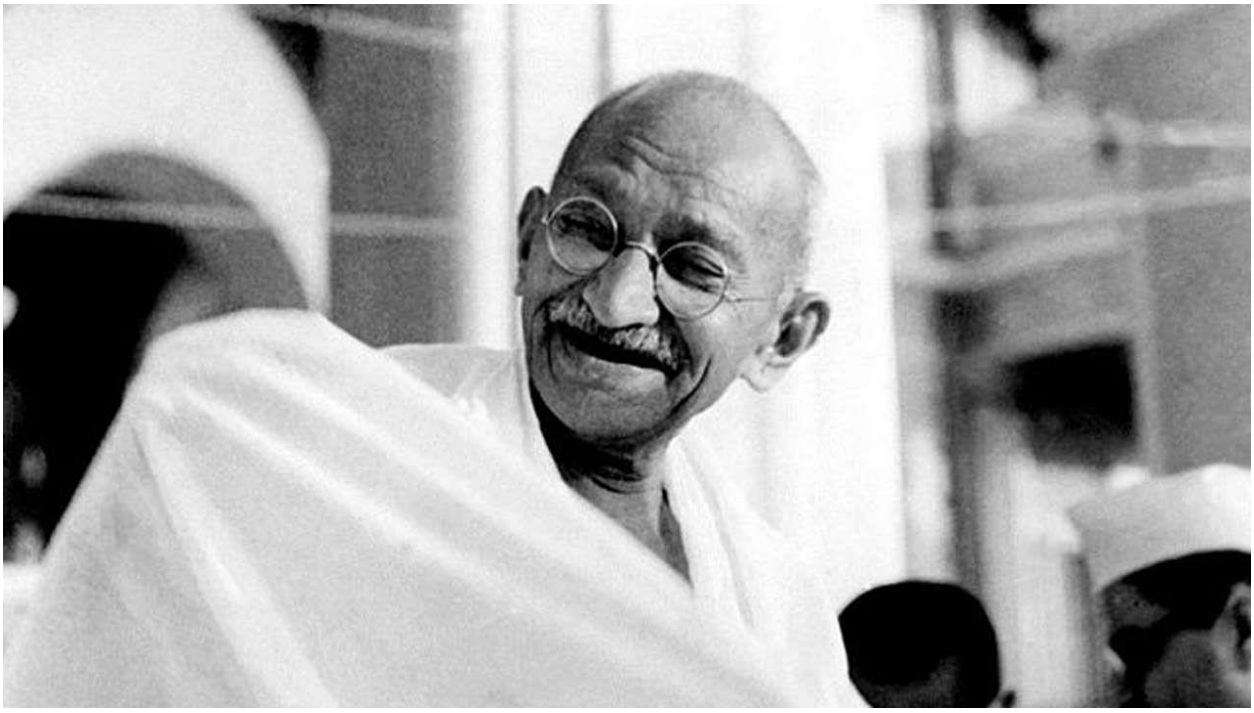

महात्मा गांधी

भारत माता की स्वाधीनता के लिए जितने भी महापुरुषों, देशप्रेमियों ने आहूती दी, उनमें से सत्य और अहिंसा के पूजारी दीनों के बन्धु, स्वाधीन भारत के स्रष्टा, जातिपिता, युग पुरूष महात्मा गांधी जी बेजोड़ हैं। भारतीय राष्ट्रनिर्माण में महात्मा गांधी जी का स्थान अतुलनीय है। भारतीय राष्ट्रवाद में महात्मा गांधी के प्रवेश से भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नूतन अध्याय की सृष्टि हूई। वर्ष 1869 अक्टूबर 2 का दिन विशेष था, इसी दिन पिता करमचंद और माता पुतली बाई के गर्भ से मोहनदास का जन्म हूआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। केवल 13 साल की उमर में उनका विवाह कस्तूरबा से हूआ। उनके पत्नी उन्हें हर कार्य में सहायता करती रहीं। उनको बहूत बार जेल दण्ड भी भुगतना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका से कानून की शिक्षा के बाद 1891 के जून में वे बैरिस्टर बने और दादा अब्दुल नामक एक भारतीय मुसलमान व्यवसायी के वकील बनकर मुकदमा लड़ने के लिये दक्षिण आफ्रिका के नाटाल नामक स्थान गये। उन्होनें आफ्रिका में फैले रंग भेद के विरुद्ध संग्राम करने के साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसने बाद में स्वाधीनता संग्रामी होने की राह दिखाई। गोरों के अत्याचार के बारे में जनसाधारण को सचेतन करने हेतु 'Indian Opinion' नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपने हथियार बना लिये थे।

वर्ष 1915 जनवरी 9 तारीख को भारत लौटकर गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरू के रूप में ग्रहण कीया, और इसी समय रविन्द्रनाथ जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सन् 1916 में गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम प्रतिष्ठत करके सत्य और अहिंसा के पथ पर चल पड़े। लोगों के प्रति अन्याय को रोकने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किये। वर्ष 1917 में बिहार का चम्पारण आंदोलन और 1918 में खेडा आंदोलन उनके प्रथम राष्ट्रीय आन्दोलन थे।

13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सभा के दौरान जनरल डायर के निर्देश से फायारिंग हुआ और उसमें बहुत लोगों की जान चली गई थी। इसीके बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आँदोलन छेड़ दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन अहिंसा ने हमें 15 अगस्त 1947 आजादी दिलवाई।

भारत माता की जय

कीर्तिपर्णा, +3 द्वितीय वर्ष

बकरीद मुसलमानों का त्यौहार है। इस वर्ष अगस्त 12 को बकरीद मनाया गया था। इसे खास तौर पर हजयात्रा के बाद इस्लामिक तरीके में किया जाता है। इस्लामिक कलेंडर के हिसाब से इसका शुरुआत 10 धु-अल-हिज्जाह से होकर 13 धु-अल-हिज्जाह पर खत्म होती है। इस प्रकार से इस्लामिक केलेंडर की 12 वें महीने के दस वें दिन बकरीद मनाया जाता है। बकरीद का दिन फ़र्ज़-ए-कुर्बानी का दिन होता है, मतलब आम तौर पर बकरीद के दिन कुर्बानी की जाती है। मुस्लिम समाज में बकरे को पाला जाता है। अपनी हैसियत के अनुसार उसकी देख रेख की जाती है और जब बकरीद आता है उसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करदिया जाता है, जिसे फ़र्ज़-ये-कुर्बान कहा जाता है। बकरीद मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ये बात हज़रत इब्राहिम की है, जिन्हें अल्लाह का बन्दा माना जाता है। जिनकी इबादत पैगम्बर के तौर पर की जाती है। जिनका खुदा ने इम्तेहान लिया था। खुदा ने उनका इम्तेहान लेने के लिए उन्हें आदेश दिया के वे तभी प्रसन्न होंगे जब हज़रत अपने सबसे अजीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे। हज़रत ने फैसला लिया, अपने अजीज को कुर्बान करने का तय किया। उनके लिए उनका बेटे सबसे अजीज था। जब वह अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे, सबको पता चला, सब हैरान हो गए। कुर्बानी का समय जब करीब आगया, तब बेटे को इसके लिए खिला कर नहला कर तैयार किया गया। लेकिन इब्राहिम के लिए इतना आसान न था। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया और अपने बेटे की कुर्बानी दी। जब उन्होंने रो रो कर अपनी पट्टी खोली तो उन्होंने अपने बेटे को जीवित देखा और उसकी जगह इब्राहिम के अजीज बकरी की कुर्बानी होगयी थी। हज़रत इब्राहीम के इस जज्बे से खुश होकर बच्चे की जान बक्श दी और उसके जगह बकरे की कुर्बानी करवा दिया और उस कुर्बानी को कुबल किया। तभी से कुर्बानी चली आ रही है, जिसे बकरीद के नाम पर जाना जाता है।

सुहाना, +3 तृतीय वर्ष

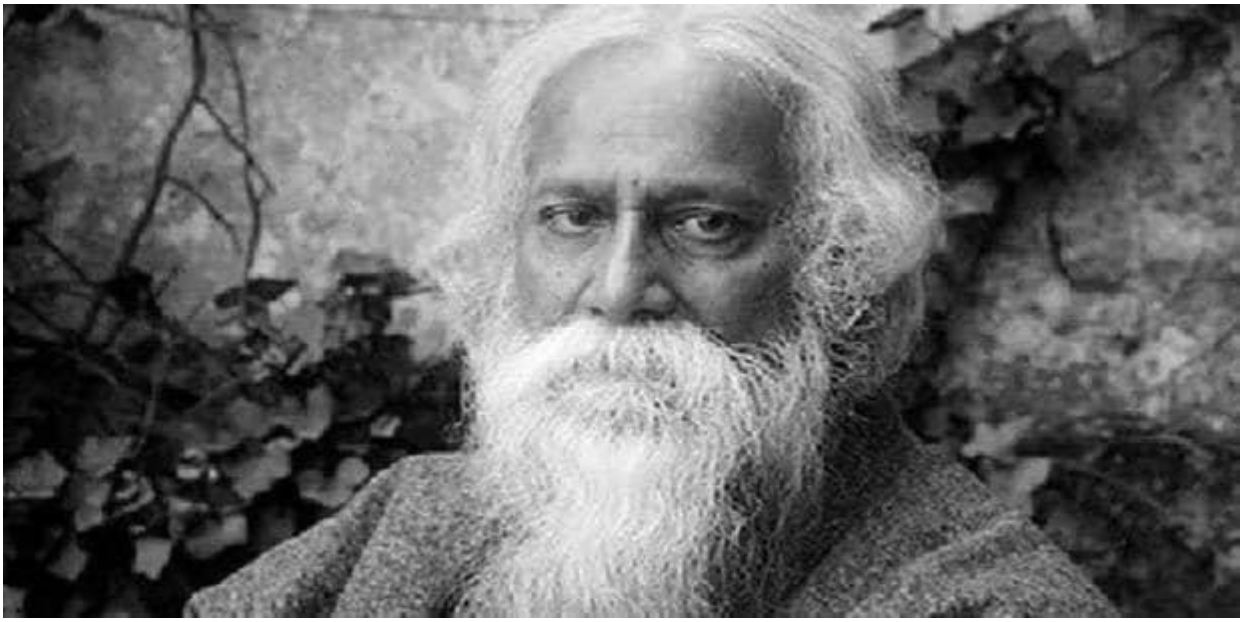

रवींद्रनाथ टैगोर

मानव इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर भी एक ऐसी ही प्रतिभा थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ भी लिखने या बताने के लिए, शब्द कम पड़ जायेंगे ऐसी प्रतिभा के धनी थे, जिनके सम्पूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे ऐसे विरल साहित्यकारों में से एक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और, इस धरती को धन्य कर जाते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाको की ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेन्द्रनाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी माता का शारदा देवी, बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की। उनके स्कूल शिक्षा के लिए उन्हें पास के एक स्कूल के वातावरण को वो सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके पिता ने घर पर ही उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी। उनके घर पर देश के गणमान्य विद्वान, साहित्यकारों और शिल्पकारों का आना जाना लगा रहता था। यही कारण है कि औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने के बावजूद उन्होंने अपने घर पर ही साहित्य संगीत एवं शिल्प का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। संगीत के साथ-साथ 9 वर्ष की आयु से ही अपने पिता के साथ विभिन्न स्थलों के भ्रमण का प्रभाव उन पर कुछ इस तरह पड़ा कि बाल्यावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 17 वें वर्ष मे लंदन गए और लंदन विश्वविद्यालय में एक वर्ष तक अध्ययन किया। रवीन्द्रनाथ ने 12 वर्ष में ही काव्य सृजन सुरू कर दिया था, बाद में उन्होंने

गद्य साहित्य की रचना भी की और अपनी अधिकतर रचनाओं का उन्होंने अग्रेंजी में अनुवाद भी किया। अपनी प्रसिद्ध काव्य पुस्तक "गीतांजलि" के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का 'नोबेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियाई भी बने। "गीतांजलि" रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक अमर काव्य कृति है। इसके गीतों में उन्हें "विश्वकवि" के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं का अंग्रेज़ी में अनुवाद कैसे प्रारंभ किया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। प्रारंभ में वे केवल अपनी मातृभाषा बांगला में ही लिखते थे। जब वे लंदन अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा प्राप्त करने गए, उस दौरान 17 वर्ष की आयु में उनकी मुलाक़ात अंग्रेजी के विश्वख्यात कवियों एवं लेखकों से हुई। रवीन्द्रनाथ किसी एक विचारधारा के कवि नहीं थे, उनके काव्य में पूरी मानवता का समावेश था। यही कारण है कि उन्हें विश्वकवि की संज्ञा दी गई। भारत के राष्ट्रगाना जन-गण-मन और बांग्ला देश के राष्ट्रगाना आमार सोनार बंगाल के रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर ही है। उनका सपना था, भारत में एक ऐसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना जाहाँ विद्यार्थि प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके उनका यह सपना तब साकार हुआ जब 1931 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इस पुरस्कार से प्राप्त धनराशि की सहायता से उन्होंने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के बोलपूर मे वर्ष 1921 में विश्वभारती, शांति निकेतन, की स्थापना की। 1951 में सरकार ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। रवीन्द्रनाथ के प्रसिद्ध उपन्यासों में चोखेरबाली, नोकाडूबा, गोरा आदि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने लगभग 2,230 गीतों की रचना की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग-अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। रवीन्द्रनाथ ने साहित्य, संगीत, शिल्प, शिक्षा हर क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा था-आज भारत के रवि का अस्त हो गया। अपने जीवन काल में टैगोर ने साहित्य जगत को इतनी विशाल सम्पदा दी कि उस पर अधिकार और पारंगत होना सबके लिए सम्भव नहीं है। उनके गीतों में जीवन का अमर संदेश है, प्रेरणा है और ऐसी पूर्णता है, जो हृदय के सब अभावों को दूर करने में सक्षम है। वास्तव में, रवीन्द्रनाथ के दर्शन में भारतीय संस्कृति के विविध अंगों का समावेश है।

वर्षा प्रियदर्शिनी, +3 द्वितीय वर्ष

पिपिलि का चंदवा

ओड़िशा के पुरी को कौन नहीं जानता। रथ यात्रा केलिए यह जगह विश्व प्रसिद्ध है। पुरी शहर के एक और प्रमुख और प्रसिद्ध स्थान पिपिलि के नाम से जाना जाता है। यह ओड़िशा के राजधानी भुवनेश्वर और पुरी शहर के बीचों बीच अवस्थित है। यह एक अधिसूचित क्षेत्र परिषद होते हुए भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के हस्तशिल्प की वजह से प्रसिद्ध है। पिपिलि चंदवे की कारीगरी केलिए लोकप्रिय है। एप्लिक, एक फ्रांसीसी शब्द है, यह एक तकनीक है जिसमें रंगीन कपड़ों के विभिन्न टुकड़ों को एक और नींव के कपड़े की सतह पर रख कर सीला जाता है।

यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग चंदवा से सुन्दर सुन्दर कारीगरी बनाते है और उसे बाजार में बेचकर अपनी रोजीरोटी कमाते है। कहा जाता है यह चंदवा का काम बारहवीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। उस समय उत्कल के जो राजा थे उनके लिए चंदवा का छाता तैयार किया जाता था। जब वह रथयात्रा को जाते थे उस चंदवा से तैयार किया गया छाता अनको छाया प्रदान करता था और साथ ही महाराज का शोभावर्द्धन करता था। अब उसका व्यवहार बहु तेजी से बढ़ गया है। लोग घर सजाने केलीए भी इस चंदवा से तैयार की गई सामग्रियों का व्यवहार कर रहे हैं। पवित्र रथयात्रा मे रथ की शोभा बढ़ाने केलिए रथ को भिन्न भिन्न रंग के चंदवा से सजाया जाता है। इसमें दैव प्रतिमाओं केलिए पोषाक, तकिये ओर बहुत सारी चिजें तैयार की जाती हैं।

चंदवा का मतलब है "रखना"। मतलब एक कपड़े के उपर कुछ कपड़ों को निश्चित चित्र की तरह रखकर उसे सिया जाता है। छाते के लिये जलरोधक कपडा ओर अन्य चिजों के लिए

सूती कपड़े का व्यवहार होता है। कपड़े में मोर, बत्तख, पेड़, हाथी, कमल, सूर्य, चन्द्र, राहु आदि तैयार होते हैं। इसको एक सूती के कपड़े के ऊपर रख कर सिया जाता है। इस चंदवा को तैयार करते समय इसको औरभी सुन्दर और मन मोहक बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे काँच, सलमें, सितारे आदि भी लगाये जाते हैं।

इस चंदवा के काम केलिए पिपिलि को वर्ष 2004 में लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड में जगह दिया गया। विगत दिनों में 54 मिटर के एक चंदवा से भारत के स्वाधीनता संग्राम के चित्र को बनाकर यह सारे विश्व में लोकप्रिय हुआ था।

श्रद्धा सुमन, +3 द्वितीय वर्ष

ग्राम देवता

महात्मा गांधी कहते थे - "भारत का हृदय गाँव में बसता है, गाँव की उन्नति संभव है। गाँव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार कृषक रहते है।" और वास्तविकता भी यही है कि कृषी भरतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 51 भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग - धन्धों से अपनी आजीविका चलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ, किन्तु जिस तरह कृषकों के शहरों की ओर पलायन एवं उनकी स्थिति में आज भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कृषक अपने बच्चों को आज कृषक नहीं बनाना चाहते। किसान मेहनत करके पेड़ लगाते हैं पर स्वयं उन्हें ही उनके फल नसीब नहीं हो पाते। निःसंदेह खून पसीना एक कर दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले कृषकों का जीवन अत्यन्त कठोर व संघर्ष पूण है। अधिकतर भारतीय कृषक निरन्तर घटते भू-क्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। दिन-रात खेतों में परिश्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढ़कने के लिए समूचित कपड़ा भी नसीब नहीं होता। जड़ा हो या गर्मी, धूप हो या बरसात उन्हें दिन-रात खेतों में ही परीश्रम करना पड़ता है। इसके बाबजूद उन्हें उनकी फसल पर उचित आय नहीं प्राप्त हो पाती। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है कि भारतीय कृषी मानसून पर निर्भर है और कृषी-क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने हेतु वर्ष 2004 में डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय कृषक आयेग' का गठन किया गया।

राष्ट्रीय कृषक आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 की घोषणा की। इसमें कृषकों के कल्याण एवं कृषि के विकास के लिए कई बातें पर जोर दिया गया है। इसमें कही गई बातें इस प्रकार है-

- सभी कृषी गत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए।
- मुल्यों में उतार - चढ़ाव से कृषकों की सुरक्षा हेतु मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फण्ड की स्थापना की जाए।
- सूखे एवं वर्षा सम्बंधित जोखिमों से बचाव हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फण्ड स्थापित किया जाए।
- सभी राज्यों में राज्यस्तरीय किसान आयोग का गठन किया जाए।
- कृषकों कें लिए बीमा योजना का विस्तार किया जाए।

खेती के तरीकों एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के सम्बनध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पात था। इसलिए कृषकों को कृषि से सम्बन्धित बातों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2004 में किसान कॉल सेन्टर की शुरूआत की गई। इस के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले "कृषि चैनलों" की शुरूआत की गई। कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। साहूकार से लिए गए ऋण पर उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है। इस शोषण से कृषकों को बचाने के लिए वर्ष 1998 ने 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना की शूरूआत की गई। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं देश की प्रगति के लिए किसानों की प्रगति आवश्यक है। इस संन्दर्भ में प्रो. गुलर की कही बात महत्वपूर्ण है- "भारत की दीर्घकालीन आर्थिक विकास की लड़ाई कृषक द्वारा जीती या हारी जाएगी"। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न प्रकार की योजना एवं नई कृषि नीति के फलस्वरूप कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ है, किन्तु अभी तक इससे सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। आशा है विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में कृषक समृद्धि हो कर भारतीय अर्थ व्यवस्था को सही अर्थों में प्रगती की राह पर अग्रसर कर सकेंगे और तभी डॉ. रामकुमार वर्मा की यह पंक्तियाँ सार्थक सिद्ध होगी

. "सोने चांदी से नहीं किंन्तु तुमने
मिट्टी से किया प्यार,
हे ग्राम देवता नमस्कार।"

वर्षा प्रियदर्शिनी, +3 द्वितीय वर्ष

अकेलापन

एक घर में एक बुजुर्ग औरत अकेले रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों उसके पास नहीं रहते थे। एक बेटा उनका अमेरिका और दूसरा हैदराबाद में रहता था। मां यानी कमला दोनों से हमेशा कहती, "बेटा मुझे अकेले रहने को अच्छा नहीं लगता। अब उम्र भी हो गयी है। कब मौत हो जाए पता नहीं। तुम सब यानी बहु और बच्चों को साथ लेकर आओ ना। तुम्हारे पापा के स्वर्ग सिधारने के बाद मुझे अकेले रहते हुए अच्छा नहीं लगता।"

दोनों भाईयों में हमेशा यह लड़ाई लगी रहती की कमला किस के पास रहे। बड़ा भाई कहता, "मैं तो खुद का गुजारा नहीं कर पाता तो उनका गुज़ारा कैसे करूं।"

छोटा भाई कहता, "मैं तो अमेरिका में रहता हूं यहां महंगाई बहुत है। मैं कैसे रखूँ?

इसी तरह दोनों भाई लड़ते हैं। दोनों में से कोई नहीं लेकर जाता। वह अकेले रहती हैं। एक दिन बेटे का फोन आता है.....

"हैलो मैं ..... मैं रवि बोल रहा हूं ....कैसी हो मां...?

"मां मैं रवि हूं .... सुनाई दिया .... कैसी हो मां?

मां बोली, “बूढ़ी हो गई हूं, मुझे सुनने में तकलीफ़ होती है। मैं..... मैं... .. ठीक हूं बेटा.....
ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो?”
“हम दोनों ठीक है मां, आपकी बहुत बहुत याद आती है।“
“मुझे भी तुम दोनों की हमेशा याद आती है”
“अच्छा सुनो मां, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूं..... तुम्हें लेने।“
“क्या.... सच??? तुम कैसे मान गए भैया ने डांटा क्या?”
“नहीं मां आपकी बहुत याद आती है..... हां मां ..... अब हम सब साथ में ही रहेंगे.... नीतू कह रही थी, मां जी को ले आओ। वहां अकेले बहुत परेशान हो रही होगी। हैलो ..... सुन रही हो ना मां.....?”
“हां... हां बेटा.....”
बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
बेटे और बहू का प्यार में झुम उठी।
जीवन के 60 साल गुजार चुकी कमला ने
जल्दी से अपने पल्लू से खुशी के आंसु पोंछने लगी और बेटे से बात करने लगीं।
पुरे दो महीने बाद बेटे से बात कर रही थी
पुरे 10 साल बाद बेटा घर आ रहा था।
बुढ़ी कमला के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था
वह मुहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सब को सुनाने लगी ।
वह सावित्री बहन से कहने लगी बहन जानती हो मैं अमेरिका जा रही हूं ..... अच्छा बताओ तो यह अमेरिका कैसा होगा?
में पहली बार हबाई जहाज पर बैठने बाली हूं वह कैसा उड़ने वाला है ?
आकाश के कितने करीब से देखुगी में ..... में तो अभी से डर लग रहा है कैसे बैठुंगी में?
अच्छा बहत तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना ?
ऐसे वह हजार सवाल पुछने लगी.....
तो सावित्री ने कहा अरे बहन थोड़ा सब्र तो रखो जब जाओगी तो सब कुछ जान जाओगी।
सभी खुश थे की चलों बुढ़ापा चैन सें बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा । रवी अकेला आया था।
घर पहुंच कर वह कहने लगा की मां हमें जल्दी ही अमेरिका जाना है। इसलिए जो भी रूपया-पैसा किसी से लेना है या देना है वह सब देख लो और तब तक मैं किसी प्रोपोटी डीलर से मकान की बात करता हूं।
मकान.....? मां ने पूछा।
हां मां, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा।

हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे।
यह सुनकर बुढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे देख रही थी जैसे कोई उससे दुर जा रहा हो
यानी यह मकान कमला के पति भानु जी ने बड़े प्यार से ओर अपनी एक एक कमाई हुई पैसे को जोड़ कर अपने परिवार के लिए बनाया था ।अब घर टुटने जा रहा था ।
कम दाम में रवी ने मकान बेच दिया।
कमला देवी ने वो जरूरी सामान को समेटा जिससे उसे बहुत ज्यादा लगाव था। रवी टैक्सी मंगवा चुका था, एयरपोर्ट पहुंचकर रवी ने कहां..... मां तुम यहां बैठो मैं अंदर जाकर सामान की जांच और तुम्हारा विजा भी तो नहीं है उसको बनाने की बहुत कोशिश की नहीं हो पाया था आफिसर बहुत पैसे मांग रहा था , अंदर में जाकर तुम्हारे लिए विजा बनाने की कोशिश करता हूं सुना है यहां पे कम रूपए में विजा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें लेने आता हूं।
ठीक है बेटा...
कमला देवी वहीं पास की बेच पर बैठ गई।
काफी समय बीत चुका था। उसे लग रहा था की बहुत जल्दी काम निपटा के बेटा आएगा। बहार बैठी कमला को बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था लेकिन अभी तक बहार नहीं आया।
वह यह सोचने लगी की सायद अंदर बहुत भीड़ होगी ..... रवी कितना परेशान हैं मुझे ले जाने के लिए ..... यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से आसा लगाएं दरवाजे की ओर देखने लगी।
अंधेरा हो चुका था । एयरपोर्ट के बहार भीड़ कम हो चुकी थी । माजी.....किससे मिलना है? कोई आरहा है किया? जिसे आप लेने आए हों माजी एक कर्मचारी ने पूछा, मेरा बेटा अंदर गया था ..... मेरा विजा बनाने ताकी मेरा बेटा मुझे आज अमेरिका ले जा सके .....
कहने घबराते हुए कहा । लेकिन माजी अंदर तो कोई विजा नहीं होता.... और अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है।
रुको माजी में देख के आता हूं फ्लाईट कितने बजे की है अच्छा आपके बेटे का नाम किया है..... कर्मचारी ने सवाल किया।र..... रवी ..... कमला ने घबराते हुए कहा । कर्मचारी आनंद गया और कुछ देर बाद बहार आकर बोला। मांजी.....
अमेरिका जानेवाली फ्लाईट तो दोपहर में ही चली गई। आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कबका जा चुका .....। क्या.....? कमला के आंखों से आंसू बहने लगा। वह कहने लगी नहीं बेटा तुम ने ठीक से देखा नहीं होगा मेरा बेटा मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता है । वह कोई काम में फसा होगा।
नहीं माजी अंदर कोई नहीं है आप को ग़लत फैमली है वह कब का जा चुका है आप को लेने नहीं आएगा कर्मचारी ने कहा । अच्छा चलो में देखती हूं वह वहीं होगा .... जब जाकर उसने

देखा तो अन्दर कोई नहीं था। कर्मचारी ने कहा माजी आप वापस घर चलें जाईए। कहना ने अच्छा बेटा में चली जाती हूं जब मेरा बेटा मुझे लेने आए तो कह देना में घर चली गीता हु वह वहीं पर मुझे लेने आ जाए । वह अब आपको कभी लेने नहीं आएगा कर्मचारी ने कहा। वह आएगा यह कहते हुए घर के लिए वह बहार आई।
किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था।
रात में घर के बाहर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति के पैशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा । समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा माजी..... क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली जाए। अब आपकी उम्र की बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाओगी।
हां चली तो जाऊंगी मगर कल को मेरा बेटा आया तो,
यहां फिर कौन उसका ध्यान रखेगा?
वह ठीक से खाना नहीं खाता अपना ध्यान ठीक से नहीं रखता है । में कैसे चली जाऊं ? कमला यह कहने लगी।

शरीफा शरवारी, +3 तृतीय वर्ष

वाह रे वाह

वाह रे जमाना तेरी हद हो गयी
बीवी के आगे माँ रद्द हो गयी

इतनी मेहनत से जिसने पाला
आज वह मोहताज हो गयी
और कल की मिली लडक़ी
तेरी सरताज हो गयी ।

बीवी के लिए लिम्का
माँ पानी के लिए रो रही
सुनता नहीं कोई
वो आवाज़ देती देती सो गयी ।

बीवी हमदर्द और
माँ सरदर्द हो गयी
वाह रे जमाना तेरी हद हो गयी ।

हफ़िज़ा बेगम, +3 तृतीय वर्ष

स्वतन्त्रता दिवस

15 अगस्त देश की शान है।
यह हमारे देश का अभिमान है।
तीनों रंगों का मेल है तिरंगा हमारा
हर तरफ देखों लग रहा
जय हिन्द का नारा है।
जिससे हमारा देश सबसे न्यारा
सबसे प्यारा है।
बच्चों से लेकर बड़ों तक हाथ में लिए
तिरंगा
आज झूम रही है दुनिया सारी
आओ आओ गाये राष्ट्रगान
झंडा लहराए एक संग
चारों ओर खुशियाँ फैलाएं
आज आया हमारा गणतंत्र दिवस का त्योहार
अलग-अलग है यहां रुप रंग
पर सभी है एक संग
हर प्रदेश की अलग जुबान है
पर मिठास की उनमें शान है
अनेकता में एकता है
पर सब मिल जुल कर देश की शान है
सदा बढ़ता रहे देश का सम्मान हमारा
गर्व होता है इस दिन पर मुझे
जिसके वजह से आज है हमारी पहचान।

रक्षाबंधन

यह प्यारा सा बंधन कभी ना टूटे
यह प्यारा सा साथ कभी ना छूटे
यह आपस में भाई-बहन
के प्यार की डोर कभी ना टूटे
एक धागे से जो रिश्ता जोड़े
दिल के तार कभी ना टूटे
लड़ना झगड़ना और मनाना
यहीं है भाई-बहन का प्यार
इसी प्यार को बढ़ाने के नाम से
रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं हम हर साल
बहन प्यार से बांधे राखी
भाई वादा करें रक्षा की
चंदन और कुमकुम का टीका
रेशम का बँधा धागा कलाई पर
आरती करें, मिठाई खिलाएं
ऐसा होता है भाई-बहन का प्यार
भाई के लम्बे उम्र की दुआ है राखी
भाई - बहन के प्यार से बंधा डोर है राखी
रक्षाबंधन है बंधन का त्योहार।

शरीफा शरवारी, +3 तृतीय वर्ष

बरसात

रिमझिम रिमझिम वर्षा आई
आकाश में आँधी आई
बिजली गरजते मेघ लाई
टिप टिप बूंदों की लड़ी लाई
मेढ़क के टर्राने की आवाज आई
बूंदों से हरियाली छाई
किसानों के मन खुशहाली छाई
सुखे नदी नाले भर आये
मिट्टी की खुशबू बिखर गई
बारिश की बूंदे जब बिखरती हैं
महक माटी की सब को भाती हैं
प्रकृति ख़ुबसूरत हो जाती है
जब मोर नाचा करते हैं
सब सुरीला हो जाता है
जब कोयल कूका करती है
बारीश पेड़ के पत्तों को धोती
बच्चे कागज़ की नाव बनाते
गलीयों में खलबली मची है
बागों में हल-चल मची है
रंग बिरंगे छाते देखो
पंछी की बरातें देखो
झम झम आवाज सुहानी
रिमझिम बरस रहा है पानी।

शरीफा शरवारी, +3 तृतीय वर्ष

फिल्म समीक्षा - आर्टिकल 15

अनुभव सिन्हा निर्देशित और गौरव शुक्ला की कहानी आर्टिकल 15 फ़िल्म समाज में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और भेदभाव पर आधारित है। समाज में दलितों को आज भी हीन भावना से देखा जाता है और उन्हें समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता।
आर्टीकल 15 में साफ लिखा गया है कि,-

"राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

मगर यह भेदभाव आज भी समाज में है और इस कदर भयानक तौर पर है कि एक वर्ग विशेष को उनकी औकात दिखाने के लिए न केवल उनकी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है बल्कि मार कर पेड़ पर लटका दिया जाता है। आर्टीकल 15 फ़िल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है -

आई पी एस अधिकारी अयान रंजन (आयुष्मान खुराना) को मध्यप्रदेश के लालगांव पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाता है। यूरोप से हायर स्टडीस करके लौटा अयान इस इलाके में आकर बहुत उत्सुक है मगर अपनी पत्नी अदिति (ईशा तलवार) से संदेश (मैसेज) पर बात करते हुए वह बात बता देता है कि उस इलाके में एक अलग ही दुनिया बसती है, जो शहरी जीवन से मेल नहीं खाती। अभी वह वहां के माहौल को सही तरह से समझ नहीं पाया था कि उसे खबर मिलती है कि वहां की फैक्ट्री में काम करने वाली तीन दलित लड़कियां गायब हैं, मगर उनकी

गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। उस पुलिस स्टेशन में काम करने वाले मनोज पाहवा और कुमुद मिश्रा उसे बताते हैं कि इन लोगों के यहां ऐसा ही होता है। लड़कियां घर से भाग जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। गांव वालों की बातें से अयान को अंदाज़ा हो जाता है कि सच्चाई कुछ और है। वह जब उसकी तह में जाने की कोशिश करता है, तो उसे जातिवाद के नाम पर फैलाई गया एक ऐसा दलदल नज़र आता है जिसमें राज्य के मंत्री से लेकर थाने के लोग भी शामिल हैं।

जब अयान तहक़ीकत करता था तब उसे दो लड़कियों की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती है और एक लड़की की अभी तक कुछ पता नहीं था। उन दो लड़कियों की मृत्यु कैसे हुई पता लगाना चाहता था पर उससे तहक़ीक़ात करने से मना करते हैं। लेकिन अयान किसी की नहीं सुनता और अपनी तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाता है। उसे बाद में पता चलता है कि उन दो लड़कियों का गैंग रेप हुआ है और उन्हें मार कर पेड़ में लटका दिया जाता है। तीसरी लड़की भी एक दलदल के पार सुनसान जंगल में अर्धमृत अवस्था में पाई जाती है। जब यह बात मंत्री और पुलिस वालों को पता चलती है जो इस गुनाह में शामिल हैं, वे अयान को रोकते हैं। पर वह रूकता नहीं। लड़कियों के पिता को धमकी दी जाती है कि पूछताछ के लिए पुलिस आये तो सारा दोष तुम अपने ऊपर ले लेना। जब अयान आता है तो दोनों लड़कियों के पिता यह बताते हैं कि, - "दोनों में समलैंगिक संबंध थे, जब हमें यह बात पता चला तो हम लोग उन्हें मार कर पेड़ पर लटका दिया।" लेकिन अयान को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में पता चल गया था कि उनके साथ गैंग रेप हुआ है। फिर आगे पता चलता है कि दोनों लड़कियां फैक्ट्री के मालिक से तीन रुपये बढ़ाने के बोलती हैं जिसकी वजह से फैक्टरी का मालिक और दो पुलिस वाले दोनों बच्चियों का गैंग रेप करके, उनकी हत्या कर देते हैं और तीसरी लड़की भागने में सफल हो जाती है तथा अर्धमृत अवस्था में दलदल के पार एक जंगल में मिलती है।

आर्टीकल 15 में लिखा है कि सब जाती, धर्म में कोई विभेद नहीं है। इस फिल्म में बताया गया है कि अपने को उच्च बताने और बनाये रखने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। जाति में कोई विभेद नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज में यह जातिवाद कम होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा है, तथा इसे बड़े बड़े राजनेताओं का प्रश्रय भी मिलता जा रहा है। आजनेता लगातार धर्म और जाति की आग लगा कर उसमें अपनी रोटियाँ सेंक रहे हैं और निरीह अज्ञानी मनुष्य उसमें पिसता जा रहा है।

आर्टिकल 15 फिल्म हमारी बंद आँखों को खोल देता है। इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद, अभिनय और निर्देशन प्रशंसनीय है। सामाजिक सरोकार पर बनी यह फिल्म देखने योग्य है।

हफ़िज़ा बेगम, +3 तृतीय वर्ष

अतीत के प्रेमी

लगता है आज फिर से वही दिन आ गया है। वही आधी घनी रात, वही आधा खिला चांद, वही झरने के पास दो प्रेमी, जो एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। दोनों अतीत की खाई में लौट रहे थे। जब वे युवा थे, एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। यहां तक कि एक साथ जीने मरने की कसम जिन्होंने खायी थी। वे दोनों आज फिर से उस समय में पहुंच चुके थे। वे दोनों आज विवाह के बंधन में बन चुके थे।

बादल 24 वर्ष का एक नवयुवक जो भाई बहनों में सबसे छोटा लड़का था। बिगड़ैल स्वभाव का जो अपने जीवन के हर पहलू को खुल कर जीना पसंद करता था। पढ़ाई होती नहीं थी और बदमाशी छूटती नहीं थी। पता नहीं एक ही कॉलेज में और कितने साल रहने का इरादा था। दूसरी तरफ हमारी नायिका वर्षा जो देखने में सुंदर, आधुनिक, चंचल, स्वभाव की थी और केवल पास होने तक की पढ़ाई में संतुष्ट रहने वाली। लेकिन एक खासियत उसमें यह थी कि वह अच्छी वक्ता भी थी, अपने भाषण से अपने बातों से वह किसी का भी दिल जीत सकती थी।

बादल और वर्षा एक ही विषय पढ़ते थे। बादल जब कॉलेज के आखिरी वर्ष में था, तब उसी वर्ष वर्षा का दाखिला उस कॉलेज में हुआ था। वर्षा से उसकी पहली मुलाकात स्वागत संवर्धना के उत्सव में हुई थी। पहली मुलाकात में ही वह उस पर फिदा हो गया था। तब से बादल ने मन ही मन फैसला किया था कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्षा से ही करेगा। तब से वह किसी न किसी बहाने से वर्षा के पास आने की कोशिश में लगा रहता था।

देखते देखते छः महीने इसी इंतज़ार में बीत गये कि अपने मन की बात वह उसे बता सके, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन पिकनिक का योजना बनी। पिकनिक की जगह पंचलिंगेश्वर था, जो उड़ीसा के बरहमपुर ज़िले में है। बस से जाते जाते रात हो चुकी थी। रात का समय था तो तंबू गाढ़ा गया और खाने-पीने का इंतजाम होने लगा। वर्षा रात के अंधेरे में अकेली उस झरने के पास पहुंची और बहती हुई जल राशि को देखने लगी। उसके पीछे किसी की खाँसने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां बादल खड़ा हुआ था। वर्षा के पीछे मुड़ते ही उसने उसे कहा की

"इतनी रात को अकेली यहां आ गई, डर नहीं लगा?"

वर्षा ने कुछ उत्तर नहीं दिया ।वर्षा की चुप्पी को महसूस कर उसने दीर्घ निःस्वास छोड़ा और फिर से कहा

"देखो वर्षा कॉलेज के पहले दिन से ही तुम मुझे पसंद हो और तुम ही से मैं शादी करना

चाहता हूं। मैंने यह बात बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश भी की थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला आज तुम्हें यहां अकेली पाकर मैंने अपने मन की बात कह दी आगे तुम्हारी मर्जी।"

यह कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था की अचानक वर्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया।

"जानते हो मैं इतनी रात को अकेली यहां क्यों आई? क्योंकि मैं जानती थी कि किसी की आंखें मुझ पर टिकी हुई है, मैं जानती थी वह इंसान मुझे अकेले मिलना चाहता है।"

वर्षा की इस बात को लेकर बादल ने उसे प्रश्न भरी नजरों से देखने लगा। उस वक्त तक वर्षा ने बादल का हाथ छोड़ दिया था। वर्षा पुनः बोली।

“कॉलेज में आए हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। और इस 6 महीने में सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी तुम्हारे पीछे पागल हूँ। मैं जानती थी तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, इसलिए मैं जितना संभव उतनी अकेली रहने की कोशिश कर रही थी, पर कोई ना कोई बीच में आ ही जाता था। आज इस मौके को मैं जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए इतनी रात को मैं यहां अकेली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ।“

बर्षा बादल के थोड़ा पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहने लगी

"यह सच है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ बादल, बहुत प्यार।"

यह कहकर वह बादल से लिपट जाती है। उसी चांदनी रात में उन्होंने सारी रात एक दूसरे के साथ समय बिताया। इसी जगह से उनके प्यार की शुरुआत हुई थी ।एक दूसरे के साथ इसी जगह उन्होंने जीने मरने की कसम भी खाई थी। इसी कारण इस जगह को वे लोग कभी भी नहीं भूल पाए।

आज इतने सालों बाद दोनों का फिर से उसी जगह आना एक आकस्मिक घटना ही है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। वर्षा का ध्यान टूटा!

"वर्षा.....वर्षा.....इतनी रात को यहां क्या कर रही हो वर्षा। मुन्ना माँ माँ करके कब से खोज रहा है तुम्हें, चलो जल्दी यहां से।"

इस बात को सुनकर वर्षा अतीत से वर्तमान को लौट आई थी। वह कुछ क्षण के लिए यह भूल गई थी कि उसके पति और बच्चा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसका अपना एक संसार है। वह अपने पति के पीछे पीछे चल दी। हां, मगर जाते वक्त एक बार उसने पीछे मुड़कर हताश भाव से बादल को जरूर देखा था।

बादल उसी जगह खड़े होकर वर्षा को यूं जाते हुये देखता रहा, तब तक जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। सुबह होने आई थी, फिर से एक नया सूरज निकल रहा था। कहीं फिर से एक नई कहानी बन रही थी।

पिंकी सिंह, भूतपूर्व छात्रा

आपकी बात

आत्मीय नमस्कार

हिन्दी भारती का जुलाई अंक "प्रेमचंद विशेषांक" के रूप में सामने आया। हिन्दी साहित्य विशेषकर देशज शब्दावली के सिद्धहस्त पुरोधा, देशप्रेम के प्रति समर्पित रचनाकार, लेखनी के महान जादूगर प्रेमचंद जी की मर्म स्पर्शी रचनाओं के साथ ही युवा रचनाकारों की कथावस्तु पर लाजवाब अभिव्यक्ति बेहद प्रशंसनीय है। संपादकीय पर टिप्पणी करना निःसंदेह सूर्य को दीपक दिखाना होगा। पत्रिका में कहीं-कहीं पर काव्यात्मक पंक्तियाँ दाल-भात में चटनी की भाँति प्रकाशित ई-पुस्तिका को और भी मनोरंजक बनाने में सफल रही हैं। कदम-कदम पर प्रेमचंद जी की संदेशप्रद सूक्तियां कुशल संपादन का खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। चित्रावली और पत्र टिप्पणियाँ यथावत अपना उद्देश्य पूरा कर रही हैं। कुल मिला कर हिन्दी के प्रति यह प्रयास न केवल प्रशंसनीय है अपितु अनुकरणीय भी है। संपादक मंडल और संकलित रचनाकारों को मेरा आशीर्वाद।

डॉक्टर नरेश मोहन,
हिन्दी सेवक,
बीएचईएल, हरिद्वार,
उत्तराखंड

मुंशी प्रेमचंद पर संपादित यह अंक उत्कृष्ठ है। विद्यार्थियों की रचनायें उनकी साहित्य की समझ के अनुकूल है। आपने उन्हें रचनाधर्मिता की ओर प्रेरित किया, आप और संपादन मंडल बधाई के पात्र हैं। पत्रिका की प्रगति हेतु अनेक शुभकामनायें। धन्यवाद।

प्रोफेसर एस. के. चतुर्वेदी,
भू. पू. विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग,
भू. पू. प्रो वाईस चांसलर,
मेरठ विश्वविद्यालय

ई पत्रिका के द्वारा हिंदी सेवा का यह पूर्व प्रांतीय महाविद्यालय स्तरीय प्रयास प्राथमिक है एवं प्रशंसनीय है। हिंदी परिवेश प्रवर्तन प्रारंभिक है, निर्माणाधीन है। परिस्थिति प्रतिकूल है, पर प्रदीप को प्रज्ज्वलित रखने क प्रायास अनुकूल है। प्रपंच के प्रहार को प्रतिहत कर हिंदी के भवन को राष्ट्र परिक्रमा के प्राचीर से सुरक्षित रखना होगा। अंत में ढ़ेर सारी शुभकामनाओं के साथ

प्रो. चक्रधर त्रिपाठी, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, प. बंगाल

इस बार कवर पेज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल लेकिन आकर्षक। जुलाई अंक के सारे लेख छात्राओं की हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ती रुचि को प्रदर्शित करता है। विशेष कर यह अत्यंत ही सुखद अनुभव है कि महाविद्यालय से निकल कर आज हम विश्वविद्यालय की छात्रायें बन चुकी हैं, पर आज भी हमें पत्रिका में लिखने हेतु प्रोत्साहन तथा स्थान मिलता है। यह पत्रिका इसी तरह आने वाले वर्षों में आगे बढ़ती रहे।

पिंकी सिंह, भूतपूर्व छात्रा

प्रेमचंद

गबन

https://youtu.be/bqHfZXZialc

यादों के गलियारों से

एक दिवसीय संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता

प्रो. चक्रधर त्रिपाठी

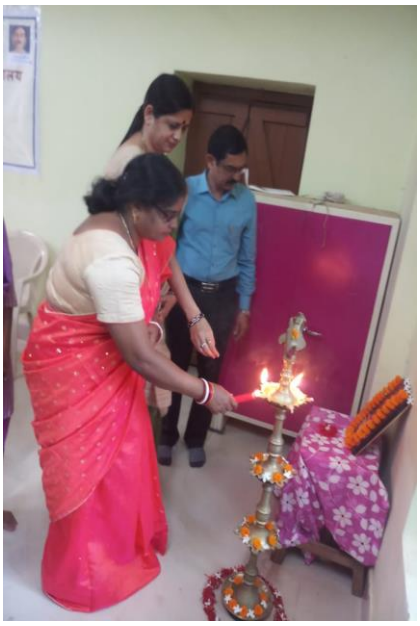

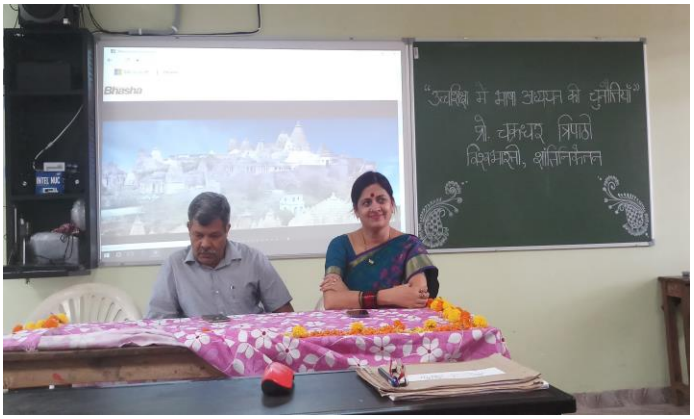

शिक्षक दिवस के अवसर पर विभाग की भूतपूर्व छात्रायें

धन्यवाद